

बिहार सरकार  
ऊर्जा विभाग

पत्रांक - प्र02/बि0स्टे0पा0(हो0)कं0 लि0-33/2013  
सेवा में,

पटना, दिनांक -

वित्त विभाग  
द्वारा  
अनौपचारिक  
रूप से  
परामर्शित।

महालेखाकार (लेखा एवं हक),  
बिहार, वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना।

विषय:- स्पेशल प्लान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लि० के अनुषंगी कम्पनियों की 9502.59 करोड़ रुपये (नौ हजार पाँच सौ दो करोड़ उनसठ लाख रुपये) की स्वीकृत विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में विमुक्ति की गयी राशि 1129.40 करोड़ रुपये में से 0.15 करोड़ ( पंद्रह लाख) रुपये आवश्यकतानुसार वित्तीय वर्ष 2016-17 में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रिब्यूशन कम्पनी लि० एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि०, को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश: स्वीकृत।

बी०आर०जी०एफ० (स्पेशल प्लान) के अन्तर्गत 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए योजनाओं की कुल राशि 9210.75 करोड़ रुपये आकलित की गई है। योजना के अन्तर्गत 5 परियोजनाओं का क्रियान्वयन प्रस्तावित है जिसमें (1) विद्युत वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण एवं वितरण के अवरोधों को दूर करने हेतु नॉर्थ बिहार में 935.27 करोड़ रुपये और साउथ बिहार में 968.86 करोड़ रुपये की योजना फेज-I, कुल 1904.13 करोड़ रुपये (2) विद्युत वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण एवं वितरण के अवरोधों को दूर करने के लिए नॉर्थ बिहार में 2099.50 करोड़ रुपये और साउथ बिहार में 1938.50 करोड़ रुपये की योजना फेज-II कुल 4038.00 करोड़ रुपये, (3) बिहार में विद्युत उप संचरण प्रणाली का सुदृढीकरण फेज-II विस्तार परियोजना 472.53 करोड़ रुपये, (4) बिहार में विद्युत संचरण प्रणाली का सुदृढीकरण फेज-III 1958.47 करोड़ रुपये (5) अतिरिक्त बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड की एन०-1 की 291.84 करोड़ रुपये की योजना एवं (6) विद्युत मंत्रालय/ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आर०जी०जी०भी०वाई० के अन्तर्गत) द्वारा स्वीकृत राज्य के 11 जिलों यथा अररिया, बाँका, भोजपुर, गया, किशनगंज, नालंदा, नवादा, पटना, पुर्णिया, रोहतास एवं सिवान के सभी गाँव, टोलों एवं वसावटों को पूर्णतः विद्युतीकरण की योजना जिसमें नार्थ बिहार के लिए 337.72 करोड़ रुपये और साउथ बिहार के लिए 499.90 करोड़ रुपये कुल 837.62 करोड़ रुपये वित्तीय वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 में क्रमशः 2125.00 करोड़ रुपये, 3903.61 करोड़ रुपये, 1961.02 करोड़ रुपये, 1221.12 करोड़ रुपये, कुल 9502.59 करोड़ रुपये व्यय का आकलन किया गया है।

2. तदनुसार राज्य सरकार द्वारा बी०आर०जी०एफ० (स्पेशल प्लान) के अन्तर्गत बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लि० के अनुसंगी कम्पनियों की 9210.75 करोड़ रुपये (नौ हजार दो सौ दस करोड़ पचहत्तर लाख रुपये) की परियोजनाओं की स्वीकृति एवं विभिन्न परियोजनाओं के अवयवों (Components) को आवश्यकतानुसार ऊर्जा विभाग द्वारा परिवर्तित करने की स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2013-14 में बी०आर०जी०एफ० (स्पेशल प्लान) के अन्तर्गत योजना उद्व्यय 2125.00 करोड़ रुपये के विरुद्ध बजट उपबंध के अधीन भारत सरकार द्वारा विमुक्ति के अनुरूप नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रिब्यूशन कम्पनी लि०, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि०, एवं बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि० को निवेश के रूप में पूँजीगत परिव्यय के अन्तर्गत उपलब्ध कराने की स्वीकृति राज्यादेश संख्या 5150 दिनांक 07.11.2013 द्वारा प्रदान की गयी है। इसके अतिरिक्त बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड की फेज-III के अधीन "एन-1 अनुपालन" की 291.84 करोड़ रुपये की योजना की स्वीकृति राज्यादेश संख्या- 2820 दिनांक-04.08.2014 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है।

कृ०पृ०उ०

3. उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु बी0आर0जी0एफ0 (स्पेशल प्लान) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि में से वित्तीय वर्ष 2015-16 तक नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रिब्यूशन कम्पनी लि0, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0, एवं बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 को निवेश के रूप में पूँजीगत परिव्यय के अन्तर्गत कुल 3905.15 करोड़ रुपये एवं इस वित्तीय वर्ष 2016-17 में 1201.45 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये गये हैं। इस राशि को नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रिब्यूशन कम्पनी लि0, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0, एवं बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 को उपलब्ध करा दी गई है।

4. नीति आयोग का अ0स0प0-M-13053/3/1/2016 दिनांक 01.02.2017 के द्वारा सूचित किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक F.No.44(1)PF-1/2016/Vol.II-1596 दिनांक 19.01.2017 द्वारा विमुक्त कुल राशि 1129.40 करोड़ रुपये में 11वीं पंचवर्षीय योजनाकाल की R&M of Barauni and Muzaffarpur Thermal power Station परियोजना के लिए रू0 127.80 करोड़ के स्थान पर 10 लाख अतिरिक्त राशि अर्थात् रू0 127.90 करोड़ विमुक्त कर दिया गया है। इसी प्रकार 12वीं पंचवर्षीय योजनाकाल के प्रारम्भ से पहले ही पूर्ण हो चुकी परियोजना Integrated Community Based Forest Management को भी रू0 0.05 करोड़ विमुक्त कर दिया गया है। नीति आयोग द्वारा निदेशित किया गया है कि इस अतिरिक्त राशि कुल 0.15 करोड़ रुपये का व्यय ऊर्जा प्रक्षेत्र अंतर्गत 12वीं पंचवर्षीय योजनाकाल की चालू परियोजनाओं पर किया जाय। तदनुसार 0.15 करोड़ रुपये की विमुक्ति नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रिब्यूशन कम्पनी लि0 एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 को निम्न परियोजना के कार्यान्वयन हेतु उपलब्ध कराया जाना है:-

राशि करोड़ रुपये में

Sl. NO.	Name of Scheme	Amount is to be sanctioned		
		SBPDCL	NBPDCL	TOTAL
1	Strengthening of Power distribution and removal of Distribution Constraints in North and South Bihar. Phase-I	0.07	0.08	0.15
	<b>Total</b>	<b>0.07</b>	<b>0.08</b>	<b>0.15</b>

5. उक्त आलोक में स्पेशल प्लान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लि0 के अनुषंगी कम्पनियों की 9502.59 करोड़ रुपये (नौ हजार पाँच सौ दो करोड़ उनसठ लाख रुपये) की स्वीकृत विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में विमुक्ति की गयी राशि 1129.40 करोड़ रुपये में से 0.15 करोड़ ( पंद्रह लाख) रुपये आवश्यकतानुसार वित्तीय वर्ष 2016-17 में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रिब्यूशन कम्पनी लि0 एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0, को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

6. 0.07 करोड़ (सात लाख) रुपये बजट मुख्य शीर्ष 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-05 संचरण तथा वितरण, लघु शीर्ष-190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश, मांग सं0-10, उपशीर्ष-0209 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी0आर0जी0एफ0) (राज्य घटक)-(एस0बी0पी0डी0सी0एल0 के लिए) की परियोजना विपत्र कोड-P4801051900209 विषय शीर्ष 5401-निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

0.08 करोड़ (आठ लाख) रुपये बजट मुख्य शीर्ष 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-05 संचरण तथा वितरण, लघु शीर्ष-190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश, मांग सं0-10, उपशीर्ष-0210 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी0आर0जी0एफ0) (राज्य घटक)-(एन0बी0पी0डी0सी0एल0 के लिए) की परियोजना विपत्र कोड-P4801051900210 विषय शीर्ष 5401-निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

7. इस राशि की निकासी प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से किया जायेगा।

8. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन संचिका संख्या- प्र02/बि0स्टे0पा0(हो0)कं0 लि0-33/2013 के पृष्ठ संख्या 56/टि0 पर दिनांक 08.10.2013 को प्राप्त है।

9. उपरोक्त निमित्त स्वीकृत राशि पी0एल0 खाता के माध्यम से संचालित नहीं होंगी बल्कि सीधे नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रिब्यूशन कम्पनी लि0, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 एवं बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 को उपलब्ध करायी जायेगी।

10. राज्यादेश में वित्त विभाग के यू0ओ0आर0 संख्या 754 दिनांक 20.03.2017 द्वारा सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(प्रत्यय अमृत)

प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग।

ज्ञापांक प्र02/बि0स्टे0पा0(हो0)कं0 लि0-33/2013

दिनांक .....

प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/महालेखाकार (लेखा एवं परीक्षा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग।

ज्ञापांक प्र02/बि0स्टे0पा0(हो0)कं0 लि0-33/2013 1091

दिनांक 23/03/2017

प्रतिलिपि:-वित्त विभाग, बजट शाखा, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/उप सचिव, ऊर्जा विभाग, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/ अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लि0/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं० लि०/प्रबंध निदेशक, नार्थ/साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी /कम्पनी सचिव, बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लि0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग।

12